

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) 2713551

election09@gmail.com

फोन न० (0135) 2713552

संख्या- 2083/XXV-12(11)/2018

देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2022

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र
सेवा में,

1- लो०सू०अधिकारी कार्या० परिवहन आयुक्त,

कुल्हान सहस्रधारा रोड़, देहरादून

2- लो०सू०अ०, कार्या० पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

3- समस्त लो०सू०अ०/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत आवेदन
पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री संजय शर्मा, म०नं०-62, आर्य नगर, गम्भीर
मार्ग ज्वालापुर, हरद्वार पिन-249407 का अनुरोध पत्र दिनांक 08.02.2022 जो इस कार्यालय में
दिनांक 10 फरवरी 2022 को प्राप्त हुआ है की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि
अनुरोध पत्र में चाही गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है, का विवरण निम्नवत है-

विन्दु संख्या-	लो०सू०अधि० परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्रधारा रोड़, देहरादून।
बिन्दु-1	लो०सू०अधि० परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्रधारा रोड़, देहरादून।
बिन्दु-6	समस्त लो०सू०अ०/सहा०जि०नि०अ०, उत्तराखण्ड।
बिन्दु-7	समस्त लो०सू०अ०/सहा०जि०नि०अ०, उत्तराखण्ड।
बिन्दु-8	लो०सू०अधिकारी, कार्या० पुलिस महानिदेशक,
बिन्दु-9	लो०सू०अ०/सहा०जि०नि०अ० हरद्वार

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के
अन्तर्गत अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित
सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ०संख्या 2083 /XXV-12(11)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- श्री संजय शर्मा, म०नं०-62, आर्य नगर, गम्भीर मार्ग ज्वालापुर, हरद्वार
पिन-249407 को सूचनार्थ प्रेषित।


(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

लोगों.

श्रीमान. मुख्य निवासी अधिकारी कचेरियों की
देहरादून (उत्तराखण्ड)

अधिका. - कुपनों को अधिकृत अधिकारियों वर्ष 2005 के अधिनियम निम्न कुपनों पर उपलब्ध कराई का कहे करे।

(1) अधिका. वर्ष 2022 के विधान कर्म निवासी एवं उत्तराखण्ड में आपके द्वारा TAXI एवं -
मैट्री, वल, इलाही वाहनों को अधिकृत किया गया है. उन वाहनों को प्राप्त किए वाहन एवं
इन्डिक्टर को किलने पैले को अनुमान आपके द्वारा स्वीकृत किया गया है की एक साथ प्रति उपलब्ध
कराई का कहे करे।

(2) अधिका. वर्ष 2022 को विधान कर्म निवासी की आवधी विधि विनियम में प्रारम्भ एवं किल विनियम को
लगाएंगे।

(3) अधिका. वर्ष 2022 के विधान कर्म निवासी में, कर्मचारी एवं अधिकारी को को प्राप्त किए किलने, किलने
TA / DA को अनुमान आपके द्वारा किया जाएगा।

(4) अधिका. वर्ष 2022 के निवासी में, सरकारी कर्मचारी को को किलने लें दुखरे किलने में कहे जाते है.
अथवा, किलने किलने में वद नियुक्त है. वही पर आपनी सेवाएं देता है।

(5) अधिका. कार्पोरेट वाहनों को आपके द्वारा अधिकृत किया जाता है. 2022 के विधान कर्म निवासी एवं
उन वाहनों को किलने भी किलने में, केलने का प्रावधान है. जो उनकी एक साथ प्राप्त एवं
उन वाहनों के किलने को, आपके द्वारा किलने रहने की सुविधा आपके द्वारा दी जाती है।
कोई पैले लगे आपके द्वारा एल किलने को किया जाता है. अथवा नही।

(6) अधिका. प्रत्येक अधिका के लिए JNMVA CRUSTA वाहनों को ही अधिकृत कर्म किया जाते है
अथवा वर वाहनों को आपके द्वारा वर की किलने या सरकारी टै-ड्र के वराल अनुमान
किया जाता है।

(7) अधिका. आपके द्वारा किलने किए वाहन को अधिकृत किया जाता है. उनी विनियम के उल वाहन को पैले का
अनुमान किया जाता है. अथवा आपकी इच्छा के अनुसार होता है।

(8) अधिका. 2022 में किलने वाहनों अधिकृत किलने किलने, एडिशन, प्रसिद्धि, इलाही किलने में कहे गया है.
उन वाहनों को Tall TAX, एवं अनुमान किया जाएगा अथवा नही. की कुपनों
उपलब्ध कराई का कहे करे।

(9) अधिका. आपके द्वारा दिनांक 05 जुलाई 2024 पर संख्या 1036/XXV-02/2018 सम. 62 का किलने नगर
PART II पर किलने विनियम के साथ कार्पोरेट की है की कुपनों पर किलने किलने उवालापुर
उपलब्ध कराई का कहे करे।
संलग्न शर्तों
संख्या/दिनांक संख्या 1036/XXV-02/2018 संख्या 62 का किलने नगर
उपलब्ध कराई का कहे करे। संख्या/दिनांक संख्या 1036/XXV-02/2018 संख्या 62 का किलने नगर